2021/23

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला–बारां (राज.)

वाद पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
10/21	53, 188, 183 RTA	श्योपुर	छबड़ा

वादी A0010/21	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
अमीनुर्रहमान	बनाम	दौलतराम

वकील :- राजेश भार्गव एडवो.

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
10/2/21	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 53, 188 आर टी एक्ट विरूद्व प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 17/3/2021 को पेश हो।	
17/3/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी गणों के 1, 2 व 5 ता 15 के सम्मन बाद तामील प्राप्त। प्रतिवादी क्र. 1 व 2 एवं 5 ता 10 की ओर से श्री मालीन कृष्ण वलरिया एडवो. एवं 11 व 12 की ओर से श्री हेमराज राठौर एडवो. तथा 13 ता 15 की ओर से undertaking सईफा की एडवो. की वकालतनामा पेश हुआ। प्रतिवादी क्र. 3 व 4 की तलबी हेतु तलबाना पेश नहीं वास्ते तलबी पत्रावली दिनांक 5/5/21 को पेश हो।	
5/5/21	कोरोना संक्रमण ~~पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के~~ कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 8/6/21 ...को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
8/6/21	कोरोना संक्रमण ~~पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होन के~~ कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 12/7/21 ....को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	

	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
	पत्रावली पेश हुई। वकालतनामा फरीकैन उपरोक्त प्रार्थना पत्र O1 R10 CPC पेश हुआ नकल वकील वादी को दिलाई गयी। पत्रावली वास्ते जवाब प्रा० पत्र दिनांक 3.9.24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
3.9.24	पत्रावली पेश हुई। वकालत फरीकैन उप०। वकील वादी की ओर से प्रा. पत्र O1 R10 CPC का जवाब पेश नहीं हुआ समय चाहा है। पत्रावली वास्ते जवाब प्रा. पत्र दिनांक 16.10.24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
16.10.24	पत्रावली पेश हुई। वकालत फरीकैन उप०। वकील वादी प्रा. पत्र O1 R10 CPC का जवाब पेश करने हेतु समय चाहते हैं। पत्रावली वास्ते जवाब प्रा. पत्र दिनांक 20.11.24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
20.11.24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं स्वयं वादी कोई उपस्थित नहीं है। न्यायालय से एक-एक कर तीन बार आवाज लगायी गई। न्यायालय कार्यवाही स्थगित होने तक इन्तजार किया गया। वकील वादी एवं स्वयं वादी उपस्थित नहीं हुये हैं। प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	